



2026:AHC:174657

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन बीएनएसएस धारा 482 के तहत संख्या - 7391 वर्ष

2026

कु. स्नेहां सिंह

.....आवेदक(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: अजय सेंगर

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: राम नरेश शुक्ला, राम प्रताप यादव, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा,

1. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राम प्रताप यादव और राज्य की ओर से विद्वान एजीए श्री नीरज कुमार शर्मा के तर्क सुने तथा अभिलेख पर मौजूद सामग्री का परिशीलन किया।

2. यह दूसरा अग्रिम जमानत आवेदन वाद संख्या 7306/2025 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अंशु देवी और अन्य) में अग्रिम जमानत पाने के लिए दायर की गई है जो कि मुकदमा अपराध संख्या 0171/2024 से निकला है, जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 80(2) और 85 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4 के तहत दर्ज है। यह प्रकरण पुलिस थाना- सिरसा कलार, जिला- जालौन से संबंधित है और ओराई में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जालौन के समक्ष विचारण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



के दौरान लंबित है। पहला अग्रिम ज़मानत आवेदन को इस न्यायालय ने 6.2.2025 के आदेश से वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया था।

3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक मृतका की अविवाहित ननद है और उसे इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। शव परीक्षण आख्या के अनुसार, मृतका के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं दिखी। चिकित्सक की राय में, मौत का कारण पता नहीं चल सका। विसरा को सुरक्षित रखा गया और केमिकल विवेचना के लिए भेजा गया। विसरा आख्या के अनुसार, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशक ज़हर पाया गया। यह तर्क दिया गया है कि आवेदक पर अस्पष्ट और सामान्य आरोप लगाए गए हैं। आगे यह भी कहा गया है कि मृतका के पति, ससुर और सास को संबंधित न्यायालयों से नियमित ज़मानत मिल चुकी है। विवेचना के दौरान, आवेदक ने इस न्यायालय का रुख किया था और इस न्यायालय ने आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 7453/2025 (कुमारी स्नेहा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य) में 18.4.2025 को पारित आदेश के ज़रिए पुलिस आख्या जमा होने तक अंतरिम सुरक्षा दी थी। विवेचना पूरी हो चुकी है। आवेदक ने विवेचना में सहयोग किया है। आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। हिरासत में लेकर पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं है। संबंधित न्यायालय ने आवेदक को समन भेजा है। आवेदक का कोई आपराधिक अभिलेख नहीं है। आवेदक को ऊपर बताए गए प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है। अगर आवेदक को अग्रिम ज़मानत दी जाती है, तो वह इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी।

4. विद्वान एजीए और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता ने अग्रिम ज़मानत की आवेदन का विरोध किया, लेकिन अभिलेख से ऊपर बताई गई बातों को संतोषजनक ढंग से गलत साबित नहीं कर सके।

5. आवेदक के अधिवक्ता के तर्कों, आरोपों की प्रकृति, आवेदक के पिछले अभिलेख और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक मृतक की अविवाहित ननद है। आवेदक पर अस्पष्ट और सामान्य आरोप लगाए गए हैं। शव परीक्षण आख्या के अनुसार, मृतक के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं दिखी। मृतक के पति, ससुर और सास को संबंधित न्यायालय से नियमित ज़मानत मिल चुकी है। विवेचना के दौरान, इस न्यायालय ने पुलिस आख्या जमा होने तक आवेदक को अंतरिम सुरक्षा दी थी। आवेदक ने विवेचना में सहयोग किया है और हिरासत में लेकर पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं है; प्रकरण के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक अग्रिम ज़मानत पर रिहा होने की हकदार है।



6. गिरफ्तारी की स्थिति में, ऊपर बताए गए प्रकरण में शामिल आवेदक **कुमारी स्नेहा सिंह** को विचारण के दौरान अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की दो प्रतिभू पेश करे, साथ ही निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी:-

- (i) आवेदक संबंधित न्यायालय द्वारा प्रकरण में तय की गई हर तारीख पर पेश होगी;
 - (ii) आवेदक प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं करेगी ताकि वे न्यायालय के सामने उन तथ्यों को बताने से पीछे हटें;
 - (iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा/छोड़ेगी और यदि उसके पास पासपोर्ट है, तो उसे संबंधित न्यायालय में जमा करना होगा।
7. किसी भी शर्त का पालन न करने पर, संबंधित न्यायालय उन्हें लागू करने और उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित आदेश दे सकती है।
8. आवेदन का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

19 अगस्त, 2026

मनीष कु.